गवाह संख्या–... 05.. साक्ष्य ...अभियोजन साक्ष्य, दिनांक ..09.10.2024
दिन... .बुधवार साक्षी की उम्र ... 65 वर्ष, ... शपथपूर्वक बयान
साक्षी का नाम ... कचरूराम साहू..पिता/पति ... श्री भाऊलाल साहू
व्यवसाय .... किसानी
पता/निवास– ग्राम धरमी, थाना गुण्डरदेही, जिला बालोद छ०ग०
आप० प्रकरण क्रमांक 1137/2022 छ०ग० शासन विरूद्ध नंद किशोर सिन्हा
प्रारंभ समय– 11.43 बजे से ।

//राज्य की ओर से कोई नही//

01. मैं उपस्थित आरोपी नंदकिशोर सिन्हा को नही जानता हूं । आहत नवदीप, हितेश को जानता हूं । नवदीप ने थाना में जाकर मोटरसाइकिल और उसका कागजात थाने में जाकर जप्ती कराया था, जप्ती पत्र **प्रपी–03** है, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । घटना वर्ष 2022 की है । घटना दिनांक को नवदीप और हितेश राजनांदगांव कॉलेज मोटरसाइकिल से पढाई के संबंध में गए थे । वापस आते समय डुडियाभांठा के पास पीछे से आ रही मोटरसाइकिल चालक ने नवदीप की मोटरसाइकिल को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया । घटना की जानकारी मेरी बेटी मानेश्वरी साहू ने दिया था । तब मैं अर्जुन्दा अस्पताल नवदीप और हितेश को देखने गया था । हितेश के आंख में, चेहरे में, दोनों हाथ में चोंटे थी । अर्जुन्दा अस्पताल से हितेश को रिफर कर दिया गया था । हितेश को जिला अस्पताल दुर्ग लेकर गए, वहां से रिफर कर दिए और बी०एम०शाह अस्पताल भिलाई ले गए ।

02. बी०एम०शाह अस्पताल में लगभग 25–30 दिन भर्ती रहकर ईलाज कराया । फिर घर में रहकर आ जाकर ईलाज कराया । हितेश की आंख की रोशनी चली गयी, बहुत कम दिखता है । जबड़े में प्लेट लगा हुआ है । ठोकर मारने वाली वाहन का नंबर और चालक का नाम नही बता सकता हूं । दुर्घटना में दुर्घटना कारित चालक की गलती थी क्योंकि उसने पीछे से आकर नवदीप को मोटरसाइकिल को ठोकर मारा । मैंने पुलिस को बयान नही दिया है ।

03. मुझे याद नही है कि नवदीप की मोटरसाइकिल पेश कर जप्त करायी थी उसका नंबर सीजी 07 बी जेड 9488 था ।

//प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री लक्ष्मण नायक वास्ते आरोपी //

04. यह कहना सही है कि मैं घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थित नही था, मैं घटना होते हुए नही देखा हूं । यह कहना सही है कि उक्त घटना में किसकी गलती थी मैं नही जानता । यह कहना सही है कि मेरे समक्ष किसी प्रकार से कोई जप्ती की कार्यवाही नही हुई है । यह कहना सही है कि जिस वाहन में मेरी नाती लोग जा रहे थे उस वाहन चालक के खिलाफ भी काउंटर मामला भी इसी न्यायालय में चल रहा है । यह कहना सही है कि मैंने जप्ती पत्र पर हस्ताक्षर पुलिस के कहने से किया था उस पर क्या लिखा था मैं नही जानता ।

समाप्ति समय — 12.05 बजे।

मेरे निर्देश पर टंकित	वाचित सत्य स्वीकृत
सही/-	सही/-
(महेश बाबू साहू)	**(महेश बाबू साहू)**
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	**न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी**
गुण्डरदेही जिला बालोद(छ०ग०)	**गुण्डरदेही जिला बालोद(छ०ग०)**